



सेवोत्तम प्रमाणित

कार्यालय सम्पत्ति प्रबन्धक उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

हरि मन्दिर/पानी की टंकी के पीछे,
विवेक नगर, दिल्ली रोड़, सहारनपुर-247001 (उ०प्र०)
वेबसाईट : <https://www.upavp.in>, ई-मेल :- emosm@upavp.com



पत्रांक: /सं०प्र०सहारनपुर

दिनांक :

(प्रदेशन पत्र)

सेवा में,

पंजीकृत

महोदय,

आपके चालान संख्या-..... के विरुद्ध दिनांक को लॉट्री से शाकुम्भरी विहार (मवीकलॉ योजना संख्या-8) सहारनपुर में आपको/..... प्रकार का पलैट संख्या-..... किस्त क्रय पद्धति पर परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के अधीन आवंटित किया जाता है जिसके विरुद्ध दिनांक तक निम्नलिखित विवरण के अनुसार भुगतान अपेक्षित है :-

(क) भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	(ख) जमा पंजीकरण धनराशि	रु०
1. मानक मूल्य रु० प्रतिवर्ग मीटर रु०/—	पंजीकरण धनराशि पर ब्याज योग	रु०
2. 12% फ्रीहोल्ड शुल्क	रु०	रु०
3. कार्नर चार्ज 10%	रु०	रु०
4. भवन की निर्माण लागत	रु०	रु०
5. भूखण्ड सहित भवन का कुल मूल्य	रु०	रु०
(ग) नकद क्रय पर भुगतान योग्य धनराशि	रु०	रु०
(घ) आधा नकद/किस्त क्रय पद्धति पर भुगतान योग्य धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार है:-	(च) विविध शुल्क:-	रु०
1. प्रथम किस्त के साथ देय एक मुश्त धनराशि	1. विलेख निष्पादन शुल्क	रु०
2. शेष पंजीकरण धनराशि	2. जल संयोजन शुल्क	रु०
3. शेष धनराशि निकटतम रु० 100/- के पूर्णांक में	3. अग्रिम जल शुल्क 3 माह का	रु०
4. प्रथम मासिक किस्त की धनराशि जो दिनांक से लागू होगी	4. विज्ञापन शुल्क	रु०
5. योग (घ के अनुसार)	5. विविध शुल्कों का योग	रु०

नोट :- क्रमांक-5 पर अंकित धनराशि खाता संख्या-..... इलाहाबाद बैंक देहरादून रोड़, सहारनपुर में दिनांक तक अवश्य जमा की जानी है।

- धनराशि जिस पर किस्ते बनायी गई
- किस्तों पर ब्याज दर :-
- मासिक किस्तों की कुल संख्या :-

नोट:- 1. किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।
2. न्यायालय के आदेश से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से उक्त मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदनुसार आपको भुगतान करना होगा।

आवंटी यदि उक्त वांछित धनराशि जमा न करके इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर आवंटन निरस्त कराने की प्रार्थना करता है, तो पंजीकरण के लिए निर्धारित धनराशि रूपये/— का 20 प्रतिशत धनराशि जमा करते हुए करते हुए आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। परन्तु जो आवंटी न तो निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा करते हैं और न ही आवंटन पत्र के निर्गत होने की तिथि से तीन माह के अन्दर कोई लिखित सूचना देते हैं तो उन्हें एक पंजीकृत नोटिस आगामी 15 दिन के अन्दर प्रेषित किया जायेगा और यदि फिर भी आवंटी वांछित धनराशि नोटिस निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर जमा नहीं करते हैं, तो निर्धारित वर्तमान पंजीकरण धनराशि रु०/— का 50 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि में से कटौती करते हुए उनका पंजीकरण तथा प्रदेशन निरस्त कर दिया जायेगा एवं सम्पत्ति अन्य को आवंटित कर दी जायेगी।

नोट:- नकद पर देय प्रदिष्ट भवनों का उपरोक्त अंकित तिथि के उपरान्त भुगतान की दशा में दिनांक से दण्ड ब्याज देय होगा।

नकद क्रय पद्धति पर आवंटित सम्पत्ति के मूल्य के विरुद्ध देय सम्पूर्ण धनराशि पर इस पत्र की तिथि से एक माह (30 दिन) के अन्दर भुगतान करने पर भूखण्ड एवं भवन के कुल मूल्य पर क्रमशः एक प्रतिशत तथा दो प्रतिशत की छूट दी जायेगी। एक माह के अन्दर भुगतान करने की स्थिति में आवंटी इस छूट को स्वयं समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि जमा कर सकता है।

सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु गत पृष्ठ पर अंकित समस्त धनराशियाँ एवं इस पृष्ठ पर अंकित सभी प्रपत्र दिनांक तक कार्यालय में जमा कर दें अन्यथा रूपये/— प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक का विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 15 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर रू0/— प्रतिदिन की दर से कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क देय होगा। डाक विलम्ब हेतु परिषद उत्तरदायी नहीं होगी।

नोट:- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद-भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं आवंटन सम्बन्धी विनियम-1979, (यथासंशोधित जून, 1986-मूल्य रू0 10/-) विक्रय समस्त सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालयों में एवं प्रचार अनुभाग, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ में उपलब्ध है।

भवदीय

सम्पत्ति प्रबन्धक
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक तक इस कार्यालय में जमा किये जाने वाले प्रपत्रों की सूची

1. **स्टाम्प पेपर** जिन पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख टंकित कराकर आपको कार्यालय में प्रस्तुत करने हैं।
(क) रू0 100.00 का स्टाम्प पेपर मीटर बान्ड हेतु। (ख) शासनादेशानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर जिन पर अनुबन्ध/विक्रय विलेख तैयार किया जाना है। (ग) रू0 50.00 के दो नग स्टाम्प पेपर मुसन्ना प्रति हेतु। (घ) स्टाम्प पेपर के तीन गुणा वाटरमार्क पेपर।
2. राजपत्रित अधिकारी से निम्न प्रारूप न0-2 के अनुसार प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
3. रू0 10/- के नान-जूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मजिस्ट्रेट/सब जज/नोटेरी से प्रमाणित शपथ पत्र। (जोकि प्रारूप सं0-1 के अनुसार बनना है।)
4. अनुबन्ध/सेलडीड हेतु सम्बन्धित खण्ड कार्यालय से साईट एवं बिल्डिंग प्लान की चार-चार प्रतियाँ प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
5. देय धनराशियों के विरुद्ध जमा धनराशि का बैंक प्रमाण पत्र व रसीद मूल रूप में प्रस्तुत करें।
6. चार नग पासपोर्ट साईज़ फोटो।
7. चालान की चतुर्थ प्रति मूलरूप में जमा करें।

कालम संख्या-3 के अनुसार शपथ पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार है :-

- मैं (नाम)..... पुत्र/पुत्री उम्र निवासी..... निम्न प्रकार शपथपूर्वक कहता/कहती हूँ।
1. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के नाम कोई भवन/भूखण्ड पूर्णतः या अंशतः सहारनपुर नगर में नहीं है और उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड नहीं हैं।
 2. मेरे/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों के पास नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 में निर्धारित सम्पत्ति से अधिक नहीं है और न होगी।
 3. मैं/मेरी पत्नी/पति अथवा अव्यस्क बच्चों द्वारा उ0प्र0 नगरीय सीमा में केवल एक भवन/भूखण्ड के प्रदेशन हेतु आवेदन करता/करती हूँ।
 4. मेरी समस्त श्रोतों से रजिस्ट्रेशन से पूर्व वित्तीय वर्ष को वार्षिक आय, जिसमें मेरे/मेरी पत्नी/पति या अन्य आश्रित सम्बन्धी एवं अव्यस्क बच्चों भी सम्मिलित हैं कुल रूपये से अधिक नहीं थी।

मैं (नाम) घोषणा करता/करती हूँ कि उपयुक्त अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही है और कोई भी तथ्य छिपया नहीं गया है।

स्थान

दिनांक

शपथी

कालम संख्या-2 के अनुसार प्रमाणित फोटो व हस्ताक्षर का प्रारूप

योजना का नाम सम्पत्ति संख्या:-

आवंटी का नाम

पता :-

हस्ताक्षर

1.

2.

3.

फोटो